तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 2380 / 2005 / अलवर फूलचन्द बनाम दुर्गादेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थीगण।

श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 30–5–2025

यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 सपठित धारा 9 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण / अपीलांट्स द्वारा अप्रार्थीगण / रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), अलवर के समक्ष राजस्थान भू–आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत् एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ स्थित विवादित आराजीयात बाबत् आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन आदेश दिनांक 1–6–2002 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 9–12–2002 द्वारा प्रार्थीगण / अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970 को खारिज कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–2002 से व्यथित होकर प्रार्थीगण / अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–4–2005 द्वारा प्रार्थीगण / अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–2002 यथावत रखा गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–20002 से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण खसरा नंबर 262 के खातेदार काश्तकार दर्ज है और खसरा नंबर 264 उक्त भूमि से सटी हुई भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 को 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि आवंटित की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 2380 / 2005 / अलवर फूलचन्द बनाम दुर्गादेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गई है, जो स्मॉल पैच की श्रेणी में आती है और यह सुस्थापित सिद्धांत है कि स्मॉल पैच श्रेणी की भूमि केवल उस आवेदक को आवंटित या नियमित की जा सकती है, जिसकी खातेदारी की भूमि उससे सटी हुई है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थीगण के पास संयुक्त रूप से केवल 18 बीघा बारानी भूमि थी और उनका व्यक्तिगत हिस्सा सिर्फ 4 बीघा 10 बिस्व बारानी भूमि पर था। कानून के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार 15 बीघा बारानी भूमि पर नियमितीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विवि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–4–2005 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–2002 निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970 को स्वीकार किया जावे। 5– अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थीगण भूमिहीन होने के कारण पात्रता नहीं रखते थे। उनके पास पूर्व से ही काफी भूमि है। इस बाबत् पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न की गई। अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति की बैवा औरत है तथा बी.पी.एल. सदस्य है, जिसके पास परिवार को पोषण करने हेतु आय के साधन नहीं है। यदि उन्हें मात्र एक बीघा भूमि आवंटन कर दी गई है, तो प्रार्थीगण के अधिकार / आजीविका पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे। 6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। 7– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), अलवर के समक्ष राजस्थान भू–आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत् एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ स्थित आराजी खसरा नंबर 264 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा में से अप्रार्थी संख्या 1 को रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा एवं नाथी देवी बैवा कन्नी कोली को रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 2380 / 2005 / अलवर फूलचन्द बनाम दुर्गादेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का आवंटन कमेटी द्वारा किये गये आवंटन आदेश दिनांक 1–6–2002 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 9–12–2002 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 9–12–2002 से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–4–2005 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–2002 यथावत रखा गया। हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत नियमन का विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 1–6–2002 इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलाण्ट बाबूलाल व फूलचन्द के पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि है। इसलिए यह नियमन की पात्रता में नहीं आते हैं । इसलिए इनका नियमन खारिज किया है । जहॉ तक प्रार्थना–पत्र भू–आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के प्रार्थना–पत्र खारिज का प्रश्न है, इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 15–5–2002 को ग्राम लीली में स्थित खसरा नंबर 264 रकबा 0.56 के आवंटन हेतु एवं खसरा नंबर 264 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा के नियमन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई । इस संबंध में रेस्पोडेण्ट के नियमन संबंधी प्रार्थना–पत्र सीलिंग सीमा से भूमि अधिक होने के कारण दिनांक 1–6–2002 को खारिज किया एवं इसी क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी के आवेदन पर पटवारी की रिपोर्ट के आधार आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर यह आवंटन किया गया है एवं अप्रार्थी द्वारा किसी फर्जी तथ्यों के आधार पर आवंटन प्राप्त नहीं किया गया है। किसी भी आवंटन को नियम 14 (4) के तहत तभी निरस्त किया जा सकता है, जब उसके द्वारा आवंटन की शर्ते पूरी न की गई हो। लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन नियमों की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो। ऐसे आवंटन को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के तहत खारिज किए जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होने से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष पारित किए है, जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । हस्तगत निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जो निम्न प्रकार है– **“84. Power of Board to call for records and**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 2380 / 2005 / अलवर फूलचन्द बनाम दुर्गादेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

revise orders – The Board may call for the record of any case of a judicial nature or connected with settlement in which no appeal lies to the Board if the court or officer by whom the case was decided appears to have exercised a jurisdiction not vested in it or him by law, or to have exercise jurisdiction so vested, or to haveacted in the exercise of its or his jurisdiction illegally or with material irregularity, and may pass such orders in the case as it thinks fit."

उक्त धारा के प्रावधानों के मध्य नजर आलोच्य आदेश में ऐसी कोई तथ्यात्मक, विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसे विधिसम्मत आदेशों में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

8– उक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य